

-: આતોશ :-

स्प्रीनिंग कमेटी की रिपारिश के आधार निम्नांकित भू-अभिलेख निरीक्षकों को जर्जरत्ययस्थार्थ स्थियं की वेतन श्रृंखला (पातेय वेतन) में कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार के पद पर अधिकारत पदस्थापित रखने हेतु उपयुक्त पाया जाता है :-

| NTSP AREA | | | | |
|-----------|---------|-------|-----------|-------------|
| S.NO. | ELG NO. | SN.N. | NAME ILR | FATHER NAME |
| 1 | 335 | 1450 | LAL CHAND | KHETRAM |
| 2 | 337 | 1452 | MEETHALAL | GANGADHAR |
| 3 | 411 | 664-B | RAMDEV | MURUDHAR |

| TSP AREA | | | | |
|----------|---------|-------|----------------------|------------------|
| S.NO. | ELG NO. | SN.N. | NAME ILR | FATHER NAME |
| 1 | 35 | 128 | SANDIP KUMAR MEGHWAL | LABHCAND MEGHWAL |

उक्त कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन निम्न शर्तों के अध्ययनीन रहेगा :-

1- दिनांक 31.12.21 को आयोजित स्फीनिंग समिति द्वारा उक्त भू-अभिलेख निरीक्षकों की प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर केवल कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थापन हेतु स्फीनिंग की गयी है। रक्कीनिंग समिति की रिपोर्ट केवल एवं केवल मात्र उक्त भू-अभिलेख निरीक्षकों के एक बार (One Time) कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन हेतु उपयोगी होगी इसका अन्य प्रयोजनों हेतु उपयोग नहीं दिया जायेगा और इसके आधार पर कोई भी भू-अभिलेख निरीक्षक किसी भी भांति के अनुभय, पदोन्नति एवं वित्तीय परिस्थापन का न तो हकदार होगा और नहीं किसी हक का दाया/गांग किसी भी न्यायालय/ अधिकरण अथवा प्रशासनिक संस्था/ दिभाग के समक्ष करेगा।

2- उक्त स्कीनिंग समिति की रिपोर्ट के आधार पर केवल कार्यव्यवस्थार्थ नाथब तहसीलदार के पद पर पदरथापित भू-अभिलेख निरीक्षक कार्यव्यवस्थार्थ पदरथापन की कार्याद्यधि के आधार पर किसी भी प्रकार की पदीय वरिष्ठता के हफदार नहीं होंगे तथा उक्ता कार्याद्यधि के आधार पर प्राप्त किसी अनुभव का पदोन्नति या वरिष्ठता में शुमार नहीं किया जायेगा। ना ही कोई भू-अभिलेख निरीक्षक इस आधार पर वरिष्ठता या पदोन्नति का दाया / गांग करेगा।

3- स्कीनिंग रामिति यी रिपोर्ट फेवल और फेवल मान्न कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन है इसे किसी भी रूप में तदर्थ अथवा नियमित पदोन्नति यी श्रेणी में नहीं माना जायेगा। न तो कोई भू-अभिलेख निरीक्षक उपत आधार पर किसी तदर्थ या नियमित पदोन्नति का हकदार होगा और न ही वह ऐसे किसी हक का दावा या मांग भविष्य में किसी भी न्यायालय , अधिकरण अथवा प्रशासनिक संस्था / विभाग को समझ पेश करेगा।

4- उपरात कार्यव्यवस्थाधृत भाषण सहस्रीलदार मूल रूप से भू-अभिलेख निरीक्षक ही बने रहेगे तथा भू-अभिलेख निरीक्षक को प्राप्त वेतन भर्तीयों द्वारा अतिरिक्त अन्य वित्तीय परिलाप्ति न तो हकदार होंगे और नहीं किसी हक का दावा या मांग भविष्य में किसी भी व्यापारालय, अधिकारण अथवा प्रशासनिक राज्यस्था/विभाग के समक्ष पेश करेंगे।

5- रक्कीनिंग रागिति की उक्त रिपोर्ट/अधिशंसा को प्रशासनिक आधार पर किसी भी रागय प्रत्याहारित किया जा सकेगा और भू-अभिलेख निरीक्षक को उनके मूल पद पर पुनः पदस्थापित किया जा, राकेगा। कोई भी भू-अभिलेख निरीक्षक इस संदर्भ में लिये गये किसी निर्णय को किसी भी न्यायालय, अधिकरण अथवा प्रशासनिक संस्था/विभाग के समक्ष चुनौती नहीं देगा।

6- रक्कीनिंग रागिति की रिपोर्ट के आधार पर नायब तहसीलदार पद पर कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन का यह आदेश सभी पात्र भू-अभिलेख निरीक्षकों को स्वीकार्य होगा तथा कोई भी पात्र भू-अभिलेख निरीक्षक इस आदेश को किसी भी न्यायालय, अधिकरण अथवा प्रशासनिक विभाग / संस्था के समक्ष चुनौती नहीं देगा।

7- उक्त भू-अभिलेख निरीक्षकों को वेतन नायब तहसीलदार के रिक्त पद के विरुद्ध इनके स्वयं की वेतन श्रृंखला (पात्र वेतन) में नियमानुसार इनके एलपीसी के आधार पर आहरित किया जायेगा। इन भू-अभिलेख निरीक्षकों के कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थापन हो जाने से भू-अभिलेख निरीक्षक के पद को रिपा माना जायेगा।

8- उक्त भू-अभिलेख निरीक्षक यदि कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार के पद पर कार्य नहीं करना चाहते हैं, तो वे अपना लिखित अभ्यावेदन मय विस्तृत कारण उचित माध्यम सम्बंधित जिला कलक्टर / कार्यालयाध्यक्ष राजस्व वे अपना लिखित अभ्यावेदन मय विस्तृत कारण उचित माध्यम सम्बंधित जिला कलक्टर / कार्यालयाध्यक्ष राजस्व पर मण्डल में भिजायायेंगे एक बार कार्यग्रहण में असमर्थता जाहिर करने पर पुनः कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन पर विचार नहीं किया जायेगा।

9- रक्कीनिंग समिति द्वारा राजस्व मण्डल द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर रक्कीनिंग की गयी है। किर भी यदि किसी भू-अभिलेख निरीक्षक के विरुद्ध रक्कीनिंग समिति की बैठक दिनांक 31.12.2021 तक कोई विभागीय जांच, आपराधिक प्रकरण अथवा दण्ड होने की जानकारी विभाग के संज्ञान में आती है, जिससे वह पात्रता की श्रेणी से बाहर हो जाता है तो उसे तुरंत प्रभाव से कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन से हटा कर मूल पद पर पदस्थापित किया जायेगा तथा यदि किसी भू-अभिलेख निरीक्षक के सम्बंध में उपलब्ध अभिलेख के आधार गलत / मिथ्या जानकारी के कारण उसे कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार पद पर पदस्थापन हेतु विचारित नहीं किया गया हो, तो उसके संदर्भ में विभागीय तथ्यों से वास्तविक वस्तुस्थिति स्पष्ट होने पर सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत उसकी पात्रता बाबत विचार किया जा सकेगा।

आदेशानुसार,

३१/१३/०१/२०२२

(डॉ. मोहन लाल यादव)

निबन्धक,

राजस्व मण्डल राज., अजमेर

दिनांक: १३/०१/२०२२

क्रमांक: सम/ १५९९-१६३०

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- निजी सचिव भा. अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल राज., अजमेर।
- 2- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग जयपुर।
- 3- विशिष्ट सहायक, भा. राजस्व मंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर।
- 4- संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-1) विभाग राजस्थान, जयपुर।
- 4- आयुक्त, भू-प्रबंध विभाग राजस्थान, जयपुर।
- 5- आयुक्त, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर।
- 6- संभागीय आयुक्त (समस्त) राजस्थान।
- 7- जिला कलेक्टर (समस्त) राजस्थान।
- 8- प्रभारी अधिकारी (गोपनीय/वि.जांच/प्रशासन/कंपूटर्स) राजस्व मण्डल राज., अजमेर।
- 9-
- 10- सम्बंधित.
- 11- आदेश पंजिका/ निजी पत्रावली।



निबन्धक

राजस्व मण्डल राज., अजमेर

७